न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:—54/11

परमसिंह पुत्र नत्थीलाल जाति जाटव निवासी नावली तहसील बयाना
— — मृतक वादी

1. श्रीमती विद्यादेवी स्व0 परमसिंह जाति जाटव
2. राजपाल पुत्र स्व0 परमसिंह
3. बनवारी पुत्र स्व0 परमसिंह
4. कृष्णकुमार पुत्र स्व0 परमसिंह
5. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व0 परमसिंह
6. श्रीमती पिंकी पुत्री स्व0 परमसिंह

जाति जाटव निवासी — नावली तहसील बयाना
——वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी ग्राम नावली तह0 बयाना
2. गंगादेई पत्नि स्व0 उक्की जाति जाटव निवासी नावली तह0 बयाना

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
88--89, 188 राज0 काश्तकारी अधि0
दिनांक:— 02/01/2026

निर्णय

उपस्थिति:— श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 वादीगण
श्री देवकीनन्दन शर्मा एड0 प्रति0 1

वादीगण द्वारा यह वाद डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनैन्सी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02, चा0तृ0 665 रकबा 0.01, गैरमुमकिन चाह, 1962 रकबा 0.05 चा0तृ0 1964 रकबा 0.03 गैर0मु0रास्ता, 1965 रकबा 0.29 चा0तृ0, 2141 रकबा 0.17 चा0तृ0 2142 रकबा 0.25 चा0तृ0 2143 रकबा 0.24 किता 8 कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर वर्णित खाता संख्या 118 चा0तृ0 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2065 लगायत 2068 स्थित ग्राम नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0) का टुक्की पुत्र हरभान जाति जाटव निवासी नावली तहसील बयाना खातेदार काश्तकार एवं काबिज रहा है टुक्की पुत्र हरपाल जाति जाटव निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0) का स्वर्गवास 15.12.08 को हो चुका है प्रतिवादी संख्या 2 उक्त मृतक टुक्की की पत्नी है उनके कोई सन्तान उत्पन्न नही हुई थी अतः प्रतिवादी संख्या 2 मृतक टुक्की की एकमात्र कानूनी वारिस है मृतक टक्की की छोडी हुई समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति टुक्की के मरने पर प्रतिवादनी संख्या 2 को विरासत में प्राप्त हुई थी अतः आराजी वर्णित खण्ड संख्या 1 प्रतिवादनी संख्या 2 को टुक्की के मरने पर विरासत में प्राप्त हुई थी खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को टुक्की अपने जीवन काल में वहैसियत खातेदार काश्त करता एवं काबिज चला आ रहा था तथा टुक्की के मरने के बाद प्रतिवादनी संख्या 2 उक्त आराजी को वहैसीयत खातेदार काश्त करती एवं काबिज चली आ रही थी टुक्की के मरने पर विरासत के आधार पर प्रतिवादनी संख्या 2 के नाम नामान्तरण दर्ज व तस्दीक हुआ था तथा रैवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादिनी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार इन्द्राज हो गया है प्रतिवादनी संख्या 2 ने उक्त वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को दिनांक 26.10.09 को मुबलिग 400000/— अंकेन चार लाख रुपये में वादी को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर उस दिन वादी के हक में विक्रय पत्र तहरीर कराकर उसे दिनांक 18.11.09 को उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीबद्ध

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

करा दिया है अतः तारीख 26.10.09 खरीद के बाद से वादी उक्त विवादित आराजी पर बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज है अतः वादी उक्त आराजी को अपने उपभोग व उपयोग में लेता चला रहा अतः वादी को उक्त आराजी में हक निहित हो गया है। स्व0 टुक्कीराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 को या अन्य किसी व्यक्ति को कभी कोई वसीयत किसी प्रकार की नही की न ही प्रतिवादी ओमप्रकाश को या अन्य किसी व्यक्ति को गोद लिया न कोई गोद लेने देने की कोई रस्म अदा हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश ने टुक्की के जीवनकाल में उसके जीवनकाल तक किसी प्रकार की कोई सेवा सुश्रुषा आदि नही की न ही प्रतिवादी संख्या 1 टुक्की का कानूनी वारिस है और न ही टुक्की द्वारा छोडी गई आराजी पर अन्य किसी भी चल व अचल सम्पत्ति पर कभी आज तक किसी भी हैसीयत से काबिज रहा है टुक्कीराम के जीवनकाल में उसके जीवनकाल तक उसकी पत्नी प्रतिवादनी संख्या 2 ने ही उसकी सेवा सुश्रुषा की थी तथा बीमार होने पर प्रतिवादनी संख्या 2 ने ही उसके दवा आदि का प्रबन्ध किया व ईलाज कराया तथा श्री टुक्की की मृत्यु होने पर प्रतिवादनी संख्या 2 ने ही अपने पति के दाह संस्कार व किया कर्म बारह ब्राहमण आदि करवाये तथा सारा खर्चा प्रतिवादनी संख्या 2 ने अपने पास से किया था। प्रतिवादनी संख्या 1 का उक्त विवादित आराजी से किसी भी प्रकार कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नही रहा है प्रतिवादी संख्या 2 का आराजी पर कोई कब्जा नही है नाही उसने आराजी को कभी काश्त किया था इस प्रकार प्रतिवादनी संख्या 2 टुक्की के मरने के बाद वादी को विकय करने से पूर्व विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थी यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार नही है वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 का भी विवादित आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजी में निहित अपने अधिकारी को वादी को अन्तरित कर चुकी है और वादी ही विवादित आराजी को बहैसियत खातेदार काबिज है मौके काश्त करता चला आ रहा है रैवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत व अवैध रूप से हो रहा है जबकि विवादित आराजी को विक्रय करने पर प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजी खातेदार नही रही है प्रतिवादी संख्या 1 चतुर चालाक व्यक्ति है प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने प्रभाव दवाव में लेकर फर्जी व अवैध तरेके से वादी को छिपाते हुये गोपनीय विचाराधीन दावों में प्रतिवादी संख्या 2 से राजीनाम दिलवाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम हो रहे इन्द्राज के स्थान पर स्वयं के नाम इन्द्राज करने पर आमाद है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को दिनांक 18.04.2001 को धमकी दी के मैंने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने प्रभाव में लेकर वसीयत केन्सीलेशन का दावा खारिज करा लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के टुक्की के मरने पर जो नामांतकरण दर्ज व तस्दीक हुआ था उसे भी राजीनामा से समाप्त कराकर रैवेन्यू रिकार्ड में गलत व अवैध रूप से अपने नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर इन्द्राज करा लूंगा अपने नाम इन्द्राज कराकर आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल कर दूंगा तथा आराजी पर नाजायज व गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती कब्जा कर बेदखल कर दूंगा तथा वादी को आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग नही करने दूंगा यदि प्रतिवादी अपनी उक्त धमकी का कार्य रूप में परिणित करने मे सफल हो गये तो वादी को बहुत ही ज्यादा अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी यही कारण है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा न्यायालय से कराने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना जरूरी हो गया है वादकारण वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 26.10.09 को वादी के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर व रजिस्टर्ड होने व दिनांक 18.04.2001 को प्रतिवादी द्वारा धमकी देने पर पैदा हुआ है।

अन्त में दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02, चा0तृ0 665 रकबा 0.01, गैरमुमकिन चाह, 1962 रकबा 0.05, चा0तृ0 1964 रकबा 0.03 गैर0मु0रास्ता, 1965, रकबा 0.29 चा0तृ0, 2141 रकबा 0.17 चा0तृ0

उप खण्ड अधिकारी
सपोटरा (करौली) राज

2142 रकबा 0.25 खा0सं0 2143 रकबा 0.24 किता 8 कुल रकबा 1.00 है0 ग्राम नावली तहसील बयाना वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसे प्रतिवादीगण कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नही है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उक्त वर्णित में वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे, का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन न्यायालय हाजा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश की ओर से प्रकरण में दिनांक 16.01.2012 को जबाव दावा प्रस्तुत कर विशेष विवरण में अंकित किया है कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 7 में वसियतनामा बावत् जिक किया है और बताया है कि स्वर्गीय टुक्कीराम ने अपने जीवनकाल मे प्रतिवादी संख्या 1 को या अन्य किसी व्यक्ति को अभी कोई वसियत किसी प्रकार की नही करायी थी जबकि स्वर्गीय टुक्कीराम ने अपने जीवनकाल में एक वसियत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनांक 17.9.2003 को की थी जिसके बावत प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय श्रीमान् अपरजिला न्यायाधीश संख्या 1 के न्यायालय में उक्त तारीख की वसियत को प्रोपेट करने बावत एक याचिका ओमप्रकाश बनाम हरखासो आम के नाम से पेश की है जो श्रीमान् ऐ0डी0जे संख्या 1 के न्यायालय में वास्ते साक्ष्य प्रार्थी तारीख पेशी 2.7.2011 नियत हैं एवं इसी वसियत को कैंसिलेशन कराये जाने व डिकलेरेशन बावत एक बाद वादी ने भी न्यायालय श्रीमान् ए0डी0जे0 साहब संख्या 1 के बयाना के न्यायालय प्रस्तुत कर रखा है जो आज भी जैर पैण्डिग है जिसकी प्रार्थना में वादी ने यह बताया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जोअन मे रजिस्टर्ड वसियत तारीखी 17.9.2003 को स्वर्गीय टुक्कीराम से अपने हित में तहरीर करना बतलाया है उसे निरस्त फरमाया जावे एवं यह भी प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की वसियत वैलिड है या अनवैलिड है यह बिन्दू न्यायालय श्रीमान् ए0डी0जे0 साहब संख्या 1 बयाना को तय करना है और इसी वसियत बावत ही यह मामला श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है इसलिये न्यायालय श्रीमान् को इस वाद की सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है । वादी उक्त जायदाद को क्रय करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जानता था कि उक्त विवादित आराजीयात पर मुकदमेंबाजी चल रही है इसके बावजूद भी वादी ने यह सब कुछ जानते हुये भी उक्त जायदाद को क्रय किया था यदि कोई व्यक्ति मुकदमें के पैण्डिग रहते हुए कोई जायदाद खरीदता है तो वह माना जाता है कि वहजायदाद नहीं खरीद रहा है, बल्कि मुकदमा खरीद रहा है वादी उक्त जायदाद को खरीदते वक्त यह जाता था कि इस पर अदालत श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर, पत्र कमांक 129/2009 व तहसीलदार बयाना एल0आर0/09/2346–47 दिनांक 4.8.2009 एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.9.09 द्वारा यह आदेश था कि विवादित आराजी के रिकार्ड और मौके की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे इसके बावजूद इन सब स्थगन आदेशों की कोई परवाह न करते हुये वादी ने यह नल एण्ड वोईड बयनामा कराया था जो प्रारम्भ से ही शून्य था इसके बावत वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 3.08.2009 के मुताबिक तहसीलदार बयाना ने उक्त विवादित आराजी पर ओमप्रकाश प्रतिवादी को साकिन देह खातेदार घोषित कर दिया है और अब प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है और उक्त आराजीयात पर स्वर्गीय टुक्कीराम के जीवनकाल से लेकर आज तक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तो उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई दादरसी न्यायालय से वादी प्राप्त करने का अधिकार नही रह जाता है अतः दावा मय खर्चा खारिज होने योग्य है वादी ने यह बाद डिकलेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा बावत पेश किया है इसमें तथाकथित बयनामा तारीखी 26.10.2009 के आधार पर घोषणा चाही है उक्त बयनामा को निरस्त किये जाने का बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बयाना के यहां प्रस्तुत कर दिया है। इसलिये इस बाद बावत अर्थात बयनामा तारीखी 26.10.09 के आधार पर किसी प्रकार की घोषणा बावत कोई अधिकार इस न्यायालय का नहीं

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

है । दावा को विद क्लीन हैण्ड पेश नहीं किया है इसी आधार पर दावा वादीगय खर्चा खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में दावा जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2009 खरीद के बाद व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।
2. आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 9 अनुसार प्रतिवादनी संख्या 01 व 02 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है।
3. प्रतिवादीगण ने दिनांक 18.04.2011 को वादी को धमकी दी है।
4. आया उत्तर वाद के मद संख्या 7 अनुसार टुक्कीराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी 01 के हक में दिनांक 17.09.2003 को वसीयत की थी।
5. आया उत्तर वाद के मद संख्या 10 अनुसार प्रतिवादी 01 के मुकाबले वादी को उक्त आराजी को अन्तरण नल एण्ड वोईड एवं प्रभावहीन है। इससे कोई अधिकार वादी को प्राप्त नहीं होते है।
6. आया उत्तर वाद के मय संख्या 17 अनुसार दावा खारिज योग्य है।
7. दादरसी

प्रकरण में वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 18.112009, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श 3 निर्णय प्रकरण संख्या 192/2009 दिनांक 17.05.2019 एवं मौखिक साक्ष्य में PW 1 बनवारी लाल, PW 2 सोहनलाल, PW 3 अमृतलाल ने शपथ पत्र पेश किये। न्यायालय हाजा में PW 1 बनवारी लाल के बयान दर्ज किये गये। प्रकरण में बार–बार मौका दिये जाने उपरान्त भी प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं किये गये। प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

प्रकरण मे हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। एड0 वादीगण ने पत्रावली में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के निर्णय दिनांक 01.03.2025 का अवलोकन कराते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1. आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी विकय पत्र दिनांक 26.10.2009 खरीद के बाद व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है। आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 01 में वर्णित आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2009 को कार्यालय उपपजीयक बयाना के यहां पंजीबद्व हुआ है के माध्यम से किया गया। प्रतिवादिनी गंगादेई के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के पक्ष में कराया गया है। आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 0.02, चा0तृ0 665 रकबा 0.01, गैरमुमकिन चाह, 1962 रकबा 0.05 चा0तृ0 1964 रकबा 0.03 गैर0मु0रास्ता, 1965 रकबा 0.29 चा0तृ0, 2141 रकबा 0.17 चा0तृ0 2142 रकबा 0.25 चा0तृ0 2143 रकबा 0.24 किता 8 कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर वर्णित खाता संख्या 118 चा0तृ0 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2065 लगायत 2068 स्थित ग्राम नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0) का टुक्की पुत्र हरपाल जाति जाटव निवासी नावली तहसील बयाना खातेदार काश्तकार एवं काबिज रहा है टुक्की पुत्र हरपाल जाति जाटव निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0) का स्वर्गवास 15.12.08 को हो चुका है प्रतिवादी संख्या 2 उक्त मृतक टुक्की की पत्नी है उनके कोई सन्तान उत्पन्न नही हुई थी अत: प्रतिवादी संख्या 2 मृतक टुक्की की एकमात्र कानूनी वारिस हैं मृतक टक्की की छोडी हुई समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति टुक्की के मरने पर प्रतिवादनी संख्या 2 को विरासत मे प्राप्त हुई थी अत: आराजी वर्णित खण्ड संख्या 1 प्रतिवादनी संख्या 2 को टुक्की के मरने पर विरासत मे प्राप्त हुई थी खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को टुक्की अपने जीवन काल में बहैसियत खातेदार काश्त करता एवं काबिज चला आ रहा था तथा टुक्की के मरने के बाद प्रतिवादनी संख्या 2 उक्त आराजी को बहैसीयत खातेदार काश्त करती एवं काबिज चली आ रहीं थी टुक्की के मरने पर विरासत के आधार पर प्रतिवादनी

संख्या 2 के नाम नामान्तरण दर्ज व तस्दीक हुआ था तथा रैवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादिनी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार इन्द्राज हो गया है प्रतिवादनी संख्या 2 ने उक्त वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को दिनांक 26.10.09 को मुबलिग 400000/– अंकेन चार लाख रूपये में वादी को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर उसी दिन वादी के हक में विक्रय पत्र तहरीर कराकर उसी दिनांक 18.11.09 को उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीयन्द्ध कराया गया। प्रकरण में प्रदर्श 3 अनुसार माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2003 प्रोवेट पक्ष में जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 के निर्णय दिनांक 17.05.2019 खारिज किया गया, जो प्रकरण में प्रदर्श 3 से अंकित किया गया है। प्रकरण में विवादित आराजी प्रतिवादिनी गंगादेई को विरासत में अपने पति से प्राप्त हुई थी। जिसको बेचान किये जाने का प्रतिवादिनी गंगादेई को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे तनकी का खण्डन किया जा सके। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

2. आया वाद पत्र के खण्ड संख्या 9 अनुसार प्रतिवादनी संख्या 01 व 02 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है।:–यह तनकी सिद्ध करने का भार वादी का है वादी ने वाद पत्र की खण्ड संख्या 09 अनुसार वादी ने कहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। न ही उसने आराजी को कभी काश्त किया था। इस प्रंकार प्रतिवादनी संख्या 02 टुक्की के मरने के बाद वाद वादी को विक्रय करने से पूर्व विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थी। प्रतिवादनी संख्या 2 ने उक्त वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को दिनांक 26.10.09 को मुबलिग 400000/– अंकेन चार लाख रूपये में वादी को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर उस दिन वादी के हक में विक्रय पत्र तहरीर कराकर उसे दिनांक 18.11.09 को उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीबद्ध कराया गया। प्रकरण में प्रदर्श 3 अनुसार माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2003 प्रोवेट पक्ष में जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 के निर्णय दिनांक 17.05.2019 खारिज किया गया। PW 1 बनवारी लाल ने अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 26.10.09 के आपधार पर हमारे पिता परमसिंह बोनाफाईड परचेजर (सदभावी क्रेता) होने पर उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रार्थीगण बतौर विधिक उत्तराधिकार खातेदार काश्तकार हो चुके है आज भी मौके पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त आराजी में बाजरा तिल बोये थे तथा कुछ सरसो के लिए सावट छोड रखे है। PW 2 सोहनलाल ने भी अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि विक्रय पत्र तारीखी 26.10.09 से लेकर आज तक बदस्तूर मौके पर विवादित आराजीयात पर परमसिंह वादी एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परमसिंह के लडके विवादित आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहे है, तथा वर्तमान में बाजरे की फसल बोयी है प्रतिवादी ओमप्रकाश का उक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, ओमप्रकाश का विवादित आराजी के किसी भाग पर किसी प्रकार का कोई कब्जा किसी हैसियत नहीं रहा है। PW 3 अमृतलाल ने भी अपने शपथ पत्र में अंकित किया है कि बतौर गवाही मैने व सोहनलाल ने अपने अपने हस्ताक्षर तहरीरी विक्रय पत्र एवं सब रजिस्टार बयाना के समक्ष किये थे। उसी दिन गंगादेई ने विवादित आराजी पर वादी परमसिंह को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से लेकर आज तक परमसिंह एवं उसकी मृत्यु के पश्चात मौके पर विवादित आराजी का कब्जा काश्त उसके वारिसान का चला आ रहा है परमसिंह के लडके विवादित आराजी को जोतते बोते ह

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है वर्तमान में विवादित आराजी में परमसिंह के वारिसानों ने बाजरे की फसल बोयी है। प्रतिवादी ओमप्रकाश ने कभी भी विवादित आराजी को काश्त नहीं किया है न ही ओमप्रकाश का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार रहा है न ही वर्तमान में है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे उक्त गवाही का खण्डन किया जा सके। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

3. प्रतिवादीगण ने दिनांक 18.04.2011 को वादी को धमकी दी है।:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है, चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। संभवतया वाद का कारण दिनांक 18.04.2011 को प्रतिवादी ने वादी को दी गई धमकी से शुरू हुआ है। प्रतिवादी ओमप्रकाश उक्त धमकी का खण्डन किसी साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण में नहीं कर पाया है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

4. आया उत्तर वाद के मद संख्या 7 अनुसार दुक्कीराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी 01 के हक में दिनांक 17.09.2003 को वसीयत की थी।:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश का था। किन्तु प्रतिवादनी संख्या 02 दुक्की के मरने के बाद वाद वादी को विक्रय करने से पूर्व विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थी। प्रतिवादनी संख्या 2 ने उक्त वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी को दिनाक 26.10.09 को मुबलिग 400000/— अंकेन चार लाख रूपये में वादी को विक्रय कर कब्जा प्रदान कर उस दिन वादी के हक में विक्रय पत्र तहरीर कराकर उसे दिनाक 18.11.09 को उपपंजीयक बयाना के यहां पंजीबद्ध कराया गया। प्रकरण में प्रदर्श 3 अनुसार माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2003 प्रोबेट पक्ष में जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 के निर्णय दिनांक 17.05.2019 खारिज किया गया, वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दावा संख्या 13/2024 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अवैध घोषित किये जाने वसीयतनामा (अनरजिस्टर्ड) को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बयाना द्वारा दावा वादी दिनांक 01.03.2025 को डिक्री कर उल्लेखित किया है कि वादी परमसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगै0 दिनांकित 19.04.2011 व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि स्व0 दुक्कीराम द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांकित 17.09.2003 नल एण्ड वॉइड, प्रभावहीन, शून्य घोषित किया गया है। उत्तर वाद के मद संख्या 7 अनुसार दुक्कीराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी 01 के हक में दिनांक 17.09.2003 को वसीयत की थी प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश द्वारा वसीयत दिनांक 17.09.2003 उक्त आधार पर स्वतः ही खारिज हो जाता है। अतः यह तनकी भी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

5. आया उत्तर वाद के मद संख्या 10 अनुसार प्रतिवादी 01 के मुकाबले वादी को उक्त आराजी को अन्तरण नल एण्ड वोईड एवं प्रभावहीन है। इससे कोई अधिकार वादी को प्राप्त नहीं होते है।:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 का है लेकिन प्रकरण में प्रदर्श 3 अनुसार माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त दीवानी प्रकरण संख्या 192/2009 अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वसीयतनामा दिनांक 17.09.2003 प्रोबेट पक्ष में जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 के निर्णय दिनांक 17.05.2019 खारिज किया गया, वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बयाना के यहां दावा संख्या 13/2024 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

निषेधाज्ञा अवैध घोषित किये जाने वसीयतनामा (अनरजिस्टर्ड) निर्णय दिनांक 01.03.2025 से स्व0 दुलीचन्द द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांकित 17.09.2003 नल एण्ड वॉइड, प्रभावहीन, शून्य घोषित किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण पक्ष वादी तय की जाती है।

6. आया उत्तर बाद के मय संख्या 17 अनुसार दावा खारिज योग्य है।:– चूकिं तनकी 01 लगायत 05 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के साक्ष्य प्रतिवादी ओमप्रकाश ने प्रकरण में उपलब्ध नहीं कराये। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

आदेश

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है। वादी के वारिसान को आराजी खसरा नम्बर 662 रकवा 0.02, चा0तृ0 665 रकवा 0.01, गैरमुमकिन चाह, 1962 रकवा 0.05, चा0तृ0 1964 रकवा 0.03 गैर0मु0रास्ता, 1965, रकवा 0.29 चा0तृ0, 2141 रकवा 0.17 चा0तृ0 2142 रकवा 0.25 चा0तृ0 2143 रकवा 0.24 किता 8 कुल रकवा 1.06 है0 ग्राम नावली तहसील बयाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादी के शातिंपूर्वक उपयोग उपभोग में रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें। डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.